बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001
(पंजीयन सं०-633/2003)
Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव:- * राजयनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक : 53 दिनांक 23/9/2012

दिनांक-23.9.12 को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के केन्द्रिय कार्यकारणी की हुई बैठक कार्यवाही:-

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार

1. वित्त विभाग द्वारा 01.01.09 एवं उसके बाद नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी का गलत संशोधित वेतन पुर्जा निर्गत करने पर चर्चा की गयी। महासचिव द्वारा बताया गया कि छठे वेतन पुनरीक्षण के लिए गठित वेतन समिति के प्रतिवेदन के आलोक में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित संकल्प संख्या-630 दिनांक-21.01.2010 निर्गत किया गया जिसकी कंडिका-8 में वर्णित प्रक्रिया के तहत Schedule-II के अनुरूप 01.01.09 के बाद नियुक्त पदाधिकारियों का वेतन पूर्जा निर्गत किया गया था। इसके अनुसार उन पदाधिकारी का वेतनमान Pay Band-2 (9300-34800) में बैंड वेतन 14880 एवं ग्रेड पे 5400 निर्धारित कर वेतन पुर्जा निर्गत किया गया था। जो सरकार द्वारा भी अधिष्ठापित नियम के अनुरूप है।

इस संदर्भ में वित्त विभाग द्वारा परिपत्र संख्या-7101 दिनांक-01.08.2011 की कंडिका-2 (II) में उपरोक्त संकल्प की त्रुटिपूर्ण व्याख्या कर 31.12.08 के बाद नियुक्त पदाधिकारी के लिए उक्त निमय को लागू किया हुआ नही बताया गया। वर्ष 2012 के अगस्त/सितम्बर माह से इन पदाधिकारियों के लिए बगैर कोई संकल्प निर्गत किये मंत्रिमंडल के फैसले के विरूद्ध संशोधित वेतन पूर्जा निर्गत किया जा रहा है। जिसमें 01.01.09 के बाद नियुक्त पदाधिकारी को PB-2 (9300-34800) में मूल प्रक्रम 9300 पर बैड वेतन ग्रेड पे 5400 जोड़कर वेतन पूर्जा निर्गत किया जा रहा है जिसमें हरेक पदाधिकारी का वेतन कम-से-कम 10,000 प्रति माह कम कर दिया है, जो कि केन्द्र सरकार में इस प्रकार की नियुक्ति में अपनायी जा रही प्रक्रिया के विपरित है।

इस संदर्भ में प्रधान सचिव वित्त/ उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री से इस समस्या का समाधान कराने का अनुरोध करने पर निर्णय लिया गया। समाधान नही होने पर माननीय उच्च न्यायालय में बाद दायर करने पर भी सहमति बनी।

2. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन येाजना, 2010 पर चर्चा की गई। महासचिव द्वारा बताया गया कि राज्य कर्मियों को 10वर्ष, 20वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन स्वीकृति करने का प्रावधान किया गया है। परन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को वित्तीय उन्नयन दिए जाने के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग की संचिका पर वित्त विभाग ने परामर्श दिया है कि जिन पदाधिकारियों को 01.01.2009 के पूर्व लागू सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के आलोक में 12 वर्ष की सेवा अवधि के उपरान्त प्रथम वित्तीय उन्नयन स्वीकृति किया गया है उन्हें स्वीकृति की तिथि से 10 वर्ष के उपरान्त अर्थात 22 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन स्वीकृति किया जाए। जबकि सदृश्य मामलों में अन्य प्रीमियर सेवा यथा बिहार पुलिस सेवा, बिहार पशुपालन सेवा, बिहार अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्तिय योजना 2010 का प्रावधानों के अनुरूप 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय वेतन उन्नयन स्वीकृति किया गया है।

इसी प्रकार 01.01.2006 के पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत मूल कोटि के वैसे पदाधिकारी जिनकी सेवा अवधि 01.01.2009 एवं उसके बाद की तिथि को 10 वर्ष एवं उससे अधिक की हो गयी है के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संचिका में वित्त विभाग द्वारा रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 की दोषपूर्ण व्याख्या करते हुए परामर्श दिया गयाकि 01.01.2006 को मूल कोटि के पदाधिकारियों को छठे वेतन पुनरीक्षण के अनुसार किए गए वेतन निर्धारण को वित्तीय उन्नयन मानकर उसी तिथि से 10 वर्ष के बाद प्रथम वित्तीय उन्नयन ग्रेड पे-6600 में दिया जाए। जबकि बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि में 01.01.2006 को कार्यरत पदाधिकारियों को छठे वेतन पुनरीक्षण के आलोक में सरकार द्वारा स्थापित संकल्प संख्या-630 दिनांक-21.01.2010 की कंडिका 7 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप मात्र वेतन निर्धारण (Pay fixation) किया गया है न कि कोई वेतन उन्नयन स्वीकृत किया गया है। वित्त विभाग के इस दोषपूर्ण व्याख्याके अनुरूप कार्रवाई करने पर बिहार प्रशासनिक सेवा के 40वीं बैच के पदाधिकारियों को 19वें वर्ष में, 41वी बैच के पदाधिकारियों को 17वें वर्ष में तथा 42वीं बैच के पदाधिकारियों को 16वें वर्ष के सेवाकाल का पहला वित्तीय उन्नयन 6600 के ग्रेड पे में मिलेगा। जबकि समरूप स्थिति में अन्य प्रीमियर सेवा यथा बिहार पुलिस सेवा, बिहार पशुपालन सेवा एवं अन्य सेवाओं के रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना,2010 के अनुसार 01.01.2009 को एवं उसके बाद की तिथि को सेवा में 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर प्रथम वृत्ति उन्नयन ग्रेड पे-6600 में स्वीकृत किया गया है ।

इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान पुनरीक्षण में बिहार प्रशासिनक सेवा के पदाधिकारियों की सेवा में प्रवेश के स्तर पर PB-2 एवं ग्रेड पे 5400 एवं वर्ष 4 की सेवा अवधि एवं सम्पुष्टि के पश्चात् PB-3 एवं ग्रेड पे 5400 स्वीकृत किया गया है। इसी क्रम में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 की दोषपूर्ण व्याख्या करते हुए वित्त विभाग द्वारा पत्रांक-8710 दिनांक-19.09.2010

द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के मूलकोटि के पदाधिकारियों को एक ग्रेड पे-5400 में 14 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रथम वित्तीय उन्नयन ग्रेड पे 6600 में तथा द्वितीय वित्तीय उन्नयन ग्रेड पे-7600 में स्वीकृत करने का आदेश निर्गत किया गया है। जबकि तथ्य यह है कि PB-2 एवं ग्रेड पे 5400 से PB-3 एवं ग्रेड पे 5400 में उत्क्रमण केवल Notional है तथा इसमें किसी प्रकार का कोई वित्तीय लाभ पदाधिकारी को प्राप्त नहीं होता है। वित्त विभाग के इस दोषपूर्ण व्याख्या से न केवल 10 वर्षो की जगह पर 14 वर्षो में प्रथम वित्तीय उन्नयन प्राप्त होगा वरण पूरे सेवा काल में दो वित्तीय उन्नयन ग्रेड पे-6600 एवं 7600 में अनुमान्य बताकर तृतीय वित्तीय उन्नयन को खत्म किया जा रहा है। जो कि रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 के मूल अवधारण के विपरित है।

इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/ उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री को भी विषयवस्तु की जानकारी देते हुए समाधान कराने का अनुरोध करने पर निर्णय लिया गया। फिर भी अगर समाधान नहीं होता है तो माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर करने पर भी सहमति बनी।

3. बिहार प्रशासनिक सेवा का पुर्नगठन के उपरान्त प्रोन्नति में हुई विलम्व पर विचार किया गया। बेसिक ग्रेड के उप सचिव एवं उपसचिव से अपर समाहर्त्ता में विगत दो वर्षो से कोई प्रोन्नति नहीं पायी है इस पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी । इस समस्या का समाधान BAS Rule का प्रावधान होने पर संभव हो पायेगा जिसमें गैर संवर्गीय पद के विरूद्ध प्रोन्नति देने का प्रस्ताव है। इस पर मुख्य सचिव स्तर के निष्पादन होना है। महासचिव द्वारा बाताया गया कि इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग से कई बार पत्राचार किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभाग से गैर सम्वर्गीय पदों का विवरणी मांगी गई है। कई विभाग/विभागाध्यक्ष से प्रतिवेदन प्राप्त हुए है कुछ से अभी भी प्रतीक्ष्य हैं। आज की बैठक में संघ के सदस्यों, जो हरेक विभाग में पदस्थापित है से अनुरोध किया गया कि वे शीघ्रताशीघ्र अपने अपने विभाग/विभागाध्यक्ष से उक्त प्रतिवेदन भेजवाने का प्रयास करें।

इस संदर्भ में मुख्य सचिव एवं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करने पर निर्णय लिया गया।

4. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का गोपनीय अभ्युक्ति प्रतिवेदित पदाधिकारी द्वारा नहीं लिखे जाने के कारण पदाधिकारियों को वित्तीय उन्नयन/प्रोन्नति का लाभ से वंचित होने पर चर्चा की गयी। इस पर समाधान हेतु सामान्य प्रशासन के वार्ता/पत्राचार करने पर निर्णय लिया गया।

5. संघ के अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार शर्मा का पदस्थापन अपर समाहर्त्ता पटना से उप विकास आयुक्त भोजपुर होने पर सदस्यों द्वारा काफी आक्रोश व्यक्त किया गया। महासचिव ने बताया कि प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को ज्ञापन दिया गया है तथा वार्ता भी हुई है परन्तु समाधान नहीं हो पाया है। पुनः सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध करने पर निर्णय लिया गया।

6. महासचिव ने बताया कि Bihar Administrative Tribunal Bill 2011 दिनांक-04.06.11 को त्रुटि निराकरण हेतु माननीय राज्यपाल कार्यालय से विधि विभाग को वापस आया है तदोपरान्त विधि विभाग द्वारा इसे विधान सभा/सामान्य प्रशासन को अग्रतर कार्रवाई हेतु 09.06.11 को भेजा गया है। लेकिन स्थिति यथावत् है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को पहल कर Bill पारित कराने का अनुरोध करने पर निर्णय लिया गया।

7. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के कंडिका 2 (ii) (b) के अनुसार आजीवन सदस्यता शुल्क **₹ 1000/-** (एक हजार) है। विचार कर यह निर्णय लिया गया है इसे बढ़ाकर **₹ 2000/-** (दो हजार) कर दिया जाय तदनुसार By Laws में संशोधन अंकित करने पर निर्णय लिया गया।

8. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के सदस्यों के लिए आवश्यकतानुसार आवासन की व्यवस्था की जाती है। जिसके रख-रखाव हेतु **31.05.2000** में एक दिन के लिए **₹50/-** प्रति सदस्य निर्धारित किया गया था। रख-रखाव के व्यय में हुई वृद्धि को देखते हुए समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया कि शुल्क की राशि **₹50/-** से बढ़ाकर **₹100/-** किया जाय। यह दर **जनवरी,2013** से देय होगा।

सधन्यबाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी है।

सुशील कुमार
महासचिव

सुरेश कुमार शर्मा
अध्यक्ष

ज्ञापांक- 53

दिनांक- 23/9/2012

प्रतिलिपि:- केन्द्रीय कार्यकारणी के सभी सदस्यों/सभी विशेष आमंत्रित सदस्य/सभी आमंत्रित सदस्य/सभी जिला ईकाई के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ।

(सुशील कुमार)
महासचिव